



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 01 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा उ0नि0 श्री सैयाम बाबू खां थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 28.05.2026 को अभियुक्त के कब्जे से 35 ग्राम स्मैक बरामद होने पर मु0अ0सं0 146/2025 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहनगंज पर पंजीकृत कराया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 14.05.2026 को माननीय न्यायालय एएसजे-07 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 01 वर्ष कठोर कारावास ।
- अभियुक्त को 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का साधारण कारावास ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- महेन्द्र द्विवेदी पुत्र भगौती प्रसाद निवासी डोमापुर थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली ।



**एडीजीसी श्री राम
प्रकाश तिवारी**



**पैरोकार का0 विमल
कुमार**

